रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249933
CG-DL-E-07112023-249933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945
No. 643] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 823(अ).—केंद्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, भारत सरकार के परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. 180(अ), तारीख 13 मार्च, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 14 मार्च, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त प्रारूप नियम के संबंध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (नवां संशोधन) नियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ठ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'125ठ. इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यानों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान का टाईप अनुमोदन:- इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन यान जिसके अंतर्गत विशुद्ध इलेक्ट्रिक यान और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान, मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान, श्रृंखला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान, श्रृंखला समानांतर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान भी है, नियम 124 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी में यथा विनिर्दिष्ट टाईप अनुमोदन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

स्पष्टीकरण.- इस नियम में,-

'(क) "इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन" से एक ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक विद्युत ऊर्जा भंडारण युक्ति जैसे बैटरी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल फ्लाईव्हील या सुपर कैपेसिटर, एक या अधिक इलेक्ट्रिक पावर कंडीशनिंग युक्ति और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मशीनें, जो यान के प्रणोदन के लिए संग्रहीत विद्युत ऊर्जा को पहियों पर वितरित यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, सम्मिलित हैं;

(ख) "हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचईवी)" से एक ऐसा यान अभिप्रेत है, जो यांत्रिक प्रणोदन के उद्देश्य से, संग्रहीत ऊर्जा या शक्ति के निम्नलिखित दोनों यान पर के स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है, अर्थात्: -

(i) एक उपभोज्य ईंधन;

(ii) एक बैटरी, कैपेसिटर, फ्लाईव्हील या जनरेटर या अन्य विद्युत ऊर्जा या बिजली भंडारण युक्ति;

(ग) "प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान" में रेंज विस्तारित इलेक्ट्रिक यान, एक मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान सम्मिलित है जिसमें ऑफ यान चार्जिंग की रिचार्जेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपबंध है ;

(घ) "शुद्ध इलेक्ट्रिक यान" में केवल इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन द्वारा संचालित बैटरी चालित यान सम्मिलित है:

परंतु कि दो पहिया शुद्ध इलेक्ट्रिक यान को मोटर यान नहीं माना जाएगा यदि नियम 126 में निर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तें सत्यापित और अधिप्रमाणित की जाती हैं, अर्थात्: -

(i) यान 0.25 किलोवाट से कम तीस मिनट की शक्ति वाली इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित है;

(ii) यान की अधिकतम गति 25 किमी प्रति घंटे से कम है;

(iii) यान उपयुक्त ब्रेक और रेट्रो रिफ्लेक्टिव युक्तियों से सुसज्जित है, जैसे कि सामने एक सफेद परावर्तक और पीछे एक परावर्तक;

(iv) यान का लदान रहित भार (बैटरी भार को छोड़कर) 60 किलोग्राम से अधिक नहीं है;

(v) सहायक इलेक्ट्रिक मोटर से सुसज्जित पैडल सहायता प्राप्त यान के मामले में, उपरोक्त के अतिरिक्त, मोटर की तीस मिनट की शक्ति 0.25 किलोवाट से कम है, जिसका आउटपुट उत्तरोत्तर कम हो जाता है और अंततः यदि साइकिल चालक पैडल चलाना बंद कर दे तो यान की गति 25 किमी प्रति घंटा या इससे पहले तक पहुंचने पर कट जाता है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, मोटर की तीस मिनट की शक्ति को एआईएस:049-2003 में परिभाषित किया गया है और सत्यापन की रीति AIS:0412003 में विहित है;

(ङ) "श्रृंखला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान" से कोई भी यान अभिप्रेत है, जो केवल इलेक्ट्रिक मोटर संचालित रिचार्जेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा चालित पहियों तक बिजली पहुंचाने को अनुज्ञात करता है, लेकिन जिसमें रिचार्जेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली या इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए दहन इंजन का उपयोग भी सम्मिलित है;

(च) "श्रृंखला समानांतर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान" से एक समानांतर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान अभिप्रेत है जिसमें रिचार्जेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली या इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करने के लिए दहन इंजन के लिए एक प्रणाली अतिरिक्त रूप से सम्मिलित होती है;

(छ) "मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान" से एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक यान अभिप्रेत है, जिसमें 'स्टॉप-स्टार्ट' व्यवस्था, 'इलेक्ट्रिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम' और एक 'मोटर ड्राइव' है जहां मोटर अकेले यान को स्थिर स्थिति से चलाने में सक्षम है। '.

[सं आरटी-11036/71/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 746(अ), तारीख 16 अक्तूबर, 2023 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 6th November, 2023

G.S.R. 823(E).—Whereas the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R 180(E), dated the 13th March, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 14th March, 2023;

And whereas no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 125-L, the following rule shall be inserted, namely:-

   ‘**125M. Type approval of electric power train vehicles and hybrid electric vehicle:-** electric power train vehicles, including pure electric vehicles and hybrid electric vehicles, strong hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicle, series hybrid electric vehicle, series parallel hybrid electric vehicle, shall meet type approval requirements as specified in the Table specified under rule 124.

   Explanation.- In this rule,-

   ‘(a) “electric power train” means a system consisting of one or more electric energy storage devices such as a battery, electromechanical flywheel or super capacitor, one or more electric power conditioning devices and one or more electric machines that convert stored electric energy to mechanical energy delivered at the wheels for propulsion of the vehicle;

   (b) "hybrid electric vehicle (HEV)” means a vehicle that, for the purpose of mechanical propulsion, draws energy from both of the following on-vehicle sources of stored energy or power, namely:-

   (i) a consumable fuel;

   (ii) a battery, capacitor, flywheel or generator or other electrical energy or power storage device;

   (c) "plug-in hybrid electric vehicle” includes range extended electric vehicle, a strong hybrid electric vehicle which has a provision for off Vehicle charging of rechargeable energy storage system;

   (d) "pure electric vehicle” includes battery operated vehicle powered by an electric power train only:

   Provided that a two wheeled pure electric vehicle shall not be deemed to be a motor vehicle if all the following conditions are verified and authorised by any testing agency specified in rule 126, namely:-

   (i) vehicle is equipped with an electric motor having thirty-minute power less than 0.25 KW;

   (ii) maximum speed of the vehicle is less than 25 Kmph;

   (iii) vehicle is fitted with suitable brakes and retro reflective devices, such as one white reflector in the front and one reflector at the rear;

   (iv) unladen weight (excluding battery weight) of the vehicle is not more than 60 Kgs;

   (v) in case of a pedal assisted vehicle equipped with an auxiliary electric motor, in addition to above, the thirty minute power of the motor is less than 0.25KW, whose output is progressively reduced

and finally cut off as the vehicle reaches the speed of 25 km per hour, or sooner, if the cyclist stops pedaling.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the thirty minute power of the motor is defined in AIS:049-2003 and method of verification is prescribed AIS:0412003;

(e) "series hybrid electric vehicle" means any vehicle which allows power to be delivered to the driven wheels solely by a rechargeable energy storage system powered electric motor, but which also incorporates the use of a combustion engine to provide power to the rechargeable energy storage system or electric motor;

(f) "series parallel hybrid electric vehicle" means a parallel hybrid electric vehicle which additionally incorporates a system for the combustion engine to provide power to the rechargeable energy storage system or electric motor;

(g) "strong hybrid electric vehicle" means a hybrid electric vehicle which has a 'stop-start' arrangement, 'electric regenerative braking system' and a 'motor drive' where motor alone is capable to propel the vehicle from a stationary condition.’.

[No. RT-11036/71/2022-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 746(E), dated the 16th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA